National Human Rights Commission
Manav Adhikar Bhawan Block-C, GPO Complex, INA,, DELHI -110023

Dr Lenin Raghuvanshi CEO PVCHR,
SA4/2A,Daulatpur Varanashi VARANASI , UTTAR PRADESH
Dated: 05/04/2022

Dear Dr Lenin Raghuvanshi CEO PVCHR,

The Commission has recieved your complaint and it has assigned diary number as **5246/IN/2022** with the following details:-

Complainant Details

Name:	Dr Lenin Raghuvanshi CEO PVCHR		
Mobile:	9935599331	**Email:**	pvchr.adv@gmail.com
Address:	SA4/2A,Daulatpur Varanashi		
District:	VARANASI	**State:**	UTTAR PRADESH

Victim Details

Victim Name:	digvijay singh and other	**Gender:**	Male
Religion:	Hindu	**Cast:**	Unknown
Address:	amar ujala baliya repoter		
District:	BALIA	**State:**	UTTAR PRADESH

Incident Details

Incident Place:	in house	**Incident Date:**	31/03/2022
Incident Category:	ATROCITIES ON HUMAN RIGHTS DEFENDERS		
Incident District:	BALIA	**Incident State:**	UTTAR PRADESH
Is it filed before any Court / State HRC	No		
Incident Details:	सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली विषय :- उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के स्थानीय पत्रकारों को प्रश्नपत्र लिक मामले में खबर प्रकाशित करने के बाद उन्हें हिरासत में लेते हुए फर्जी मिकद्मा कर देने के सम्बन्ध में महोदय हम आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की और आकृष्ट कराना चाहूँगा जहा पर अमर उजाला अख़बार के पत्रकारों द्वारा परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में खबर चलने के बाद उक्त मामले में पत्रकारों को हिरासत में लेते हुए उन पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा दायर कर दिया गया जिससे सम्बंधित खबर न्यूज़ क्लिक ने 30 मार्च 22 को प्रकाशित की जिससे सम्बंधित लिंक https://hindi.newsclick.in/UP-Board-Fourth-pillar-on-target-of-Yogi-government-in-paper-leak-case-officers-blamed-journalists-on-their-heads संलग्न है| अतः महोदय से नम्र निवेदन है की उक्त मामले को संज्ञान मलते हुए पुरे मामे की जाँच करवाते हुए दोषिय पर क़ानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे	भवदीय डा0 लेनिन रघुवंशी संयोजक मानवाधिकार जन निगरानी समिति खबर विस्तार से उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के अंग्रेजी पेपर लीक मामले में किरकिरी होने पर योगी सरकार ने सच उजागर करने वाले चौथे खंभे को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जिन अफसरों के ऊपर थी उन्होंने अपना ठीकरा पत्रकारों के माथे पर फोड़ दिया है। लीक और वायरल पेपर छापने पर यूपी के एक बड़े अखबार "अमर उजाला" के कई पत्रकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसे लेकर विपक्ष भी अब सरकार पर हमलावर हो गया है। नकल माफिया गिरोह ने बड़ा खेल करते हुए 12वीं का अंग्रेजी का पेपर एक दिन पहले ही लीक कर दिया, जिसकी परीक्षा 30 मार्च 2022 को होने वाली थी। राज्य के 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द हो चुकी है, जिसकी अगली तिथि 13 मार्च तय की गई है। पेपर लीक मामले में बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ब्रजेश कुमार मिश्र को निलंबित करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। "अमर उजाला" में लीक पेपर छापने वाले स्थानीय पत्रकार अजित कुमार ओझा और उनके तीन अन्य साथियों को भी हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि बलिया जिला प्रशासन सारा आरोप मीडिया के माथे पर मढ़कर अपना कलंक मिटा देना चाहता है। पुलिस के साथ मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। डीआईओएस समेत करीब 17 लोगों को हिरासत में लिया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती और आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। यूपी बोर्ड परीक्षा में इंटरमीडिएट के अंग्रेजी विषय की	

परीक्षा 30 मार्च को दूसरी पाली में होनी थी। दैनिक अखबार "अमर उजाला" के बलिया संस्करण में वह लीक पेपर सुबह ही प्रकाशित कर दिया, जिसकी परीक्षा अपराह्न दो बजे से होनी थी। अंग्रेजी विषय के जो पर्चे लीक हुए थे उनका सीरियल 316 ईडी और 316 ईआई था। इन्हीं पर्चों से यूपी के 24 जिलों में परीक्षाएं होनी थी। "अमर उजाला" ने एक दिन पहले 29 मार्च 2022 को भी हाईस्कूल की संस्कृत की परीक्षा के प्रश्न-पत्र की सॉल्व कॉपी प्रकाशित की थी जो एक दिन पहले ही वायरल हो गई थी। आजमगढ़ मंडल के शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने जांच में संस्कृत के प्रश्न-पत्र के आउट होने की बात स्वीकार किया था। यह मामला अभी निपटा भी नहीं कि इंटरमीडिएट की अंग्रेजी के पेपर की भी सॉल्व कॉपी वायरल होने लगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर परीक्षा का प्रश्न पत्र और हल किया गया पेपर एक दिन पहले ही वायरल हो गया था, जिसे बाजार में पांच-पांच सौ रुपये में बेचा जा रहा था। "अमर उजाला" ने लगातार दो दिनों तक लीक पेपर प्रकाशित किया तो बलिया जिला प्रशासन इतना झुंझला गया कि अखबार के वरिष्ठ पत्रकार अजित कुमार ओझा को उनके दफ्तर से अपराधियों की तरह उठवा लिया। इस कार्रवाई से बलिया जिले के पत्रकार तमतमा गए और नारेबाजी करते हुए थाना कोतवाली पहुंचे। पत्रकार अजित कुमार ओझा को यहीं पुलिस हिरासत में रखा गया था। 30 मई की दोपहर में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने कोतवाली थाने में धरना शुरू कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार अजित ओझा को हिरासत में लेने के ख़िलाफ़ पत्रकारों का कोतवाली परिसर में धरना चल ही रहा है कि "अमर उजाला" के नगर प्रतिनिधि दिग्विजय सिंह और मनोज कुमार गुप्ता उर्फ झब्बू को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शुरु में पुलिस पत्रकारों की गिरफ्तारी से इनकार करती रही, लेकिन बाद में अपना रंग दिखाते हुए अजित के खिलाफ संगीन धाराओं में रपट दर्ज कर ली। बाद में डीआईओएस ब्रजेश कुमार मिश्र और पत्रकार अजित को बलिया जिला अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल परीक्षण के बाद एसटीएफ इन्हें पूछताछ के लिए किसी अज्ञात स्थान पर ले गई। बलिया कोतवाली का घेराव करने वाले पत्रकारों ने कोतवाली थाने में कई घंटे तक धरना दिया। इस दौरान पत्रकारों ने प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और रोष व्यक्त किया। पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में धरना-प्रदर्शन करने वाले पत्रकार अखिलानंद तिवारी, मकसूदन सिंह, जुगनू सिंह, तिलक कुमार, इमरान खान, मुशीर जैदी, सदानंदन उपाध्याय, राणा प्रताप सिंह, अभिषेक मिश्र, दीपक तिवारी, एनडी राय, धर्मेंद्र तिवारी डुलडुल ने कहा, " योगी राज में सच उजागर करना अब बड़ा गुनाह हो गया है। बलिया जिला प्रशासन यूपी बोर्ड परीक्षा की शुचिता को बचाने में नाकाम हुआ तो ठीकरा पत्रकारों के माथे पर फोड़ना शुरू कर दिया। परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठाने वाले पत्रकारों का दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार को चाहिए कि वो पहले उन अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएं जो अपना दामन पाक साफ दिखाने के लिए सच उजागर करने वाले चौथे खंभे का गला घोंटना चाहते हैं। इस मामले में पत्रकारों को मुल्जिम बनाया जाना न्यायसंगत नहीं है। पुलिस और प्रशासन की यह कार्रवाई यूपी बोर्ड की ढुलमुल व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। निर्दोष पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा फर्जी और गिरफ्तारी अवैध है। यह लोकतंत्र के चौथे खंभे को कुचलने का कुत्सित प्रयास है।" पूरा घटनाक्रम दरअसल, "अमर उजाला" के 30 मार्च के बलिया संस्करण में अंग्रेजी का वह पेपर छापा गया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। पुलिस हिरासत में लिए गए पत्रकार अजित कुमार ओझा के मुताबिक— "बलिया के डीएम इंद्र विक्रम सिंह और डीआईओएस ब्रजेश कुमार मिश्र ने 30 मार्च की सुबह उनसे संपर्क किया। दोनों अफसरों ने प्रकाशित खबर के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी और लीक पेपर व्हाट्सएप पर पेपर भेजने के लिए आग्रह किया। हमने दोनों अफसरों को लीक पेपर सुबह ही भेज दिया था। अचानक दोपहर में परीक्षा निरस्त होते ही पुलिस अमर उजाला के दफ्तर में पहुंची और हमें उठाकर कोतवाली ले आई। हमने पत्रकारीय धर्म को निभाया है। हमें और हमारे साथियों को सिर्फ झुझलाहट में निशाना बनाया जा रहा है, ताकि वो अफसर बेदाग साबित हो जाएं, जिनके ऊपर नकलविहीन परीक्षा कराने की जिम्मेदारी थी।" मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हिरासत में पत्रकार अजित कुमार ओझा से वायरल पेपर के सिलसिले में करीब तीन घंटे तक पूछताछ की गई। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने अजित के साथ हाथापाई और धक्का-मुक्की की, जिसके बाद उनकी मेडिकल जांच कराई कराई गई। डीआईओएस की हालत बिगड़ी कोतवाली थाना पुलिस मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस पत्रकार अजित कुमार ओझा के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश कुमार मिश्र को पूछताछ के लिए किसी अज्ञात स्थान पर ले जा रही थी तभी उनकी हालत बिगड़ने लगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेपर लीक मामले में डीआईओएस और पत्रकार दोनों को देर रात जेल भेज दिया गया। बलिया के नगर मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार की तहरीर पर बलिया कोतवाली थाना पुलिस ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। सिकंदरपुर में पांच और नगरा थाना पुलिस ने दस लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें "अमर उजाला" के चार पत्रकार शामिल हैं। सभी के खिलाफ धारा 420, 467, 471, एवं 66 डीआईटी एक्ट और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के साथ ही 4/5/10 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसी मामले में बलिया के गंगोत्री इंटर कालेज से तीन शिक्षकों समेत कई लोगों को पुलिस ने उठाया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश प्रसाद यादव के मुताबिक पेपर लीक मामले में तीन शिक्षकों समेत कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोष सिद्ध होने पर कठोर करवाई की जाएगी। इस बीच परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने के आरोप में बलिया के उभांव थाने में भी अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है। उभांव के थाना प्रभारी अविनाश सिंह खुद इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद परीक्षा केंद्र के कक्ष निरीक्षक सहमे हुए हैं। यूपी बोर्ड के जो भी प्रश्न-पत्र परीक्षा केंद्रों पर भेजे जाते हैं उसका लिफाफा सील रहता है। 30 मार्च को दूसरे पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले ही यह परीक्षा निरस्त किए जाने के बारे में सभी केंद्र व्यवस्थापकों को सूचना दे दी गई थी। इसके चलते किसी भी केंद्र पर पर्चा का लिफाफा नहीं खोला गया। पुलिस अब सभी सीलबंद लिफाफों की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि गड़बड़ी किस केंद्र से हुई है? माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने पेपर लीक मामले को गंभीरता से लेते हुए बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश कुमार मिश्र को निलंबित करने का आदेश दिया है। साथ ही जिलाधिकारी बलिया और पुलिस अधीक्षक

	से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। परीक्षा की शुचिता को बचाने में नाकाम उन सभी अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं जिन पर शक-शुबहा गहरा रहा है। 30 मार्च की देर रात तक बलिया के अलग-अलग क्षेत्रों से करीब 17 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक राजकरन नय्यर पिछले दो दिनों से परीक्षा केंद्रों की फुटेज खंगाल रहे हैं। पेपर लीक मामले की जांच-पड़ताल में रसड़ा और बेल्थरा के एसडीएम व पुलिस क्षेत्राधिकरी को भी लगाया गया है। पेपर लीक मामले की गहन छानबीन के लिए बुधवार की शाम एसटीएफ के अफसर बनारस पहुंच गए हैं। एसटीएफ के डिप्टी एसपी विनोद सिंह के मुताबिक बनारस से एक जांच टीम बलिया भेजी गई है। रद्द पेपर अब 13 को यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय का पेपर लीक होने के कारण 24 जिलों में दूसरी पाली की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचे स्टूडेंट्स ने रोष व्यक्त किया। कुछ स्थानों पर पुलिस से तकरार भी हुई। शासन के निर्देश पर बलिया के साथ ही एटा, बागपत, बदायूं, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अंबेडकरनगर, गोरखपुर, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन और महोबा में परीक्षाएं निरस्त की गई हैं। निरस्त परीक्षा अब 13 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा पहली पाली में सुबह 8 बजे से 11 बजकर 15 मिनट तक होगी। यूपी बोर्ड ने स्टूडेंट्स से अपील की है कि संयम बनाए रखें। निरस्त की परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो तो विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जहां से वो समाधान पा सकते हैं। इस बाबत यूपी बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर 18001805310, 18001805312 (प्रयागराज), 18001806607, 18001806608 (लखनऊ) जारी किया है। फैक्स नंबर- 0522 2237607 और ई-मेल- upboardexam2022@gmail.com पर शंका समाधान किया जा सकता है। यूपी बोर्ड के ट्विटर- @upboardexam2022, फेसबुक- Upboard Exam और वाट्सएसप- 8840850347 के जरिए भी जानकारी हासिल की जा सकती है।